

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/ Budget-2019/ **Unst.- 27/ 12-CM**  
DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI  
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)  
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated 23.02.2019

To

Shri Mahendra Gupta  
Dy. Secretary, (Question Branch),  
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,  
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Unstarred Question No. 27 due for  
25.02.2019 asked by Shri Sukhvir Singh Dalal, MLA.**


Sir,

Please refer to letter No. F-11(B-1)VI/2015-20/VSS/Ques. Branch/1240 dated 15.02.2019 received from Dy. Secretary (QB), Old Secretariat, Delhi -54, on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.

  
(Paras Ram)  
Director (Admn.& Personnel)  
Tel. No. 23544794(O)/Fax no. 23621738

पारस राम / PARAS RAM  
निदेशक (प्रशा. एवं कर्मिक)  
Director (A&P)  
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार  
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली


अतारांकित प्रश्न संख्या :- 27

दिनांक :- 25.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री सुखवीर सिंह दलाल, विधायक

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड आवेदकों से पानी का मीटर लगाने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की तिथि तथा मीटर लगाने की वास्तविक तिथि के बीच की अवधि के बिल भेजता है;	<u>क) व ख)</u> जी नहीं ।
(ख)	यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है;	
(ग)	मुंडका विधानसभा क्षेत्र स्थित तालाबों का अब तक जीर्णोद्धार न किए जाने के क्या कारण हैं;	तालाबों के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया को ग्राऊँड पर क्रियावन्न करने से पहले सलाहकार की नियुक्ति, सर्वेक्षण आदि कार्य पूरे किये गए हैं
(घ)	मुंडका विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख परियोजना के अंतर्गत कितने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है;	मुंडका विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख परियोजना के अंतर्गत अभी तक तालाबों का जीर्णोद्धार नहीं किया गया है।
(ङ)	दिल्ली के किन-किन क्षेत्रों में नलकूप नहीं लगाए जा सकते, उनकी सूची दी जाए;	दिल्ली के सभी क्षेत्रों में भूजल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर <b>Advisory Committee</b> की अनुमति के बाद नलकूप लगाये जा सकते हैं।
(च)	नई दिल्ली-41 स्थित टीकरी कलाँ गाँव में जीर्णोद्धार किए जाने वाले तालाबों और उन्हें कीचड़ से मुक्त कराने की वर्तमान स्थिति क्या है;	टीकरी कलाँ गाँव में तालाबों का जीर्णोद्धार कराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने अनुमान पास कर दिया है और इसको लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है । वर्तमान में एक वाटर बाडी के जीर्णोद्धार के लिए विस्तृत अनुबंध बनाया गया है । तदपश्चात बाकी वाटर बाँडी का जीर्णोद्धार चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ।
(छ)	हरियाणा से आने वाली नहरों/नदियों से आने वाले दिल्ली के हिस्से के जल की चोरी रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की भूमिका क्या है; और	छ) एवं ज):- हरियाणा से आने वाली नहरों/नदियों से होने वाली जल की चोरी तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी हरियाणा सिंचाई विभाग की है।
(ज)	दिल्ली के पल्ला के निकट हरियाणा के गाँव दहीसरा (सोनीपत) पर दिल्ली के हिस्से के जल की चोरी रोकने संबंधी पी.जी.एम.एस. /शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई?	

  
पारस राम / PARAS RAM  
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)  
Director (A&P)  
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार